

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

विशेष सम्मेलन की बैठक दिनांक 20.07.2015

प्रस्ताव क्रमांक 01 :- निकाय में अमृत मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) का क्रियान्वयन करने के लिए आमत्र मिशन (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) का शुभारंभ किया गया है। इस मिशन में शहरों के अधोसंरचना विकास में तथा नागरिकों को उन्नत बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से वर्तप्रदाय/आवर्धन योजना, भूमिगत सीधरेज को प्रदर्थमवरीयता में तथा ड्रेनेज, सेप्टेज को द्वितीय वरीयता में तथा निर्माण वाल उत्पान निर्माण एवं क्षमता विकास कार्यक्रम का प्रावधान किया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार का अशदान 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए 33 प्रतिशत तथा, इससे कम जनसंख्या वाले शहरों हेतु 50 प्रतिशत तथा राज्य शासन का अनुताम अंशदान 20 प्रतिशत है। राज्य शासन द्वारा राज्य एवं निकाय के अनुदान के संबंध में निर्णय पृथक से लिया जाकर निकाय को संस्थित किया जावेगा। योजना के क्रियान्वयन में जनभागीदारी की भी समिलित किये जाने का प्रावधान है। योजना के क्रियान्वयन की त्वरित एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से 11 सुधार कार्यक्रम भी समिलित किये गए हैं। भारत सरकार द्वारा जारी योजना के दिशानिर्देश संलग्न हैं। उक्त मिशन की दिशानिर्देशों को निकाय में लागू करने हेतु प्रकरण विशेष सम्मेलन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- आधुक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार भारत सरकार द्वारा लागू किये गए मिशन अमृत के मार्गनिर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु बहुमत से संकल्प पारित किया गया जिसमें वार्ड क्र. 26 के पार्षद श्री आशीष ताप्रकार आपत्ति दर्ज कराते हुए नया रायगढ़ को मिशन अमृत बनाने का सुझाव दिया गया।

प्रस्ताव क्रमांक 02 :- भारत सरकार द्वारा लागू मिशन स्मार्ट सिटी के संबंध में। भारत सरकार, शहरी विकास नियम द्वारा दिनांक 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन लागू किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नियम हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए शहरी जनसंख्या के आधार पर 02 स्मार्ट सिटी कोटा निधारित किया गया रहा। इमर्ट सिटी हेतु शहरों का चयन प्रतिरक्षण के माध्यम से किया जाना है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा जारी रखा निर्देशों में विस्तृत जानकारी दी गई है, दिशा-निर्देशों की प्रति संलग्न है। प्रतिस्पर्धा उपरांत राज्य स्तर पर उत्त्वाधिकार प्राप्ति द्वारा समिति द्वारा निर्देशों के अनुरूप परीक्षण उपरांत भारत सरकार को अनुशंसा की जावेगी। भारत द्वारा राज्यक प्रयोजन हेतु गठित समिति द्वारा इस संबंध में अतिम निर्णय कर, विजेता शहरों का चयन रमार्ट के लिए किया जावेगा, जिसमें प्रथम वर्ष में राशि रु200.00 करोड़ एवं प्रति वर्ष राशि रु100.00 करोड़ निरतर 03 वर्षों तक प्राप्त होगी। अन्य योजनाओं मिशन अमृत, सबके लिए आवास, 14वां वित्त आयोग आदि से प्राप्त राशि का अपयोग नगर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किये जाने हेतु किया जावेगा। योजना में अधोसंरचना विकास, निर्माण, बुनियादी सुविधाओं का सृजन तथा पारदर्शिता रखने के लिए आईटी का उपयोग अनिवार्य रूप से लाया जावेगा। निर्माण कार्य के साथ निकाय की कार्य प्रणाली को त्वरित एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से सुधार (रिफार्म) के क्रियान्वयन किये जाने एवं जनभागीदारी को भी समिलित किये जाने का प्रावधान है। भारत शासन द्वारा दिशानिर्देशों अनुसार स्मार्ट सिटी की प्रतिस्पर्धा में भाग लेने तथा प्रतिस्पर्धा में चयनित होने पर स्मार्ट सिटी की वर्तमान का भारत सरकार/राज्य शासन के दिशानिर्देशों के अनुसार सुधार (रिफार्म) तथा आनुशासिक समर्त कार्यों के क्रियान्वयन के संबंध में प्रकरण अनुमोदन हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- आधुक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार भारत सरकार द्वारा लागू किये गए मिशन स्मार्ट सिटी के दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु बहुमत से संकल्प पारित किया गया जिसमें वार्ड क्र. 26 के पार्षद श्री आशीष ताप्रकार द्वारा आपत्ति दर्ज कराते हुए नया रायगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने का सुझाव दिया गया।


 अध्यक्ष
 नगर पालिक निगम
 रायगढ़(छ.ग.)